



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(0)पंरावि/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/3153

जयपुर, दिनांक :- 21.8.18

आदेश

निम्न लिखित कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	नाम एवं पद	कहां से	कहां को	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	कैलाश वर्मा (जीनगर)	पं.स. शेरगढ (जोधपुर)	पं.स. खारची (पाली)	रिक्त पद पर
2.	जसप्रीत सिंह	(वाटरशेड) अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, जिला परिषद, जैसलमेर (जैसलमेर)	पं.स. अनूपगढ (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
3.	संजय कुमार जाखड	(वाटरशेड), पं.स. जैसलमेर (जैसलमेर)	पं.स. श्रीविजयनगर (श्रीगंगानगर)	रिक्त पद पर
4.	बुद्धीप्रकाश खोईवाल	(वाटरशेड) जिला परिषद, उदयपुर	पं.स. बनेडा (शीलवाडा)	रिक्त पद पर
5.	राजेश कुमार	(वाटरशेड) पं.स. नोहर (हनुमानगढ)	पं.स. नोहर (हनुमानगढ)	रिक्त पद पर
6.	विकास कुमार शर्मा	(वाटरशेड) पं.स. डीडवाना (नागौर)	पं.स. मौलासर (नागौर)	रिक्त पद पर
7.	इन्द्राज मीणा	आदेशों की प्रतीक्षा में	पं.स. लालसोट (दौसा)	रिक्त पद पर
8.	लोकेश कुमार मीणा	पं.स. बस्सी (जयपुर) स्थानान्तरणाधीन	पं.स. दौसा (दौसा)	रिक्त पद पर

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेंगे । इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय

होगा । श्री इन्द्राज मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता, आदेशों की प्रतीक्षा में पंचायती राज को पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(दिनेश कुमार जांगिड)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय आ.डी. क्रमांक 1127 दिनांक 20.8.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, संबंधित ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, संबंधित ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को पालनार्थ ।
10. निजी / आरक्षी पत्रावली ।



संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त